परिपत्र संख्या 3/2019-20

राजस्थान सरकार
वित्त (G&T-SPFC) विभाग

क्रमांकः एफ.1(8)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 26/6/2019

परिपत्र

विषयः– Government e-marketplace (GeM) से किए गए उपापन का समयबद्ध भुगतान किये जाने बाबत्।

इस विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ.1(8)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 01.05.2017 द्वारा राज्य की समस्त उपापन संस्थाओं के लिए Gem के माध्यम से उपापन के संबंध में उपापन संस्थाओं से अपेक्षित था कि Gem portal के माध्यम से किए गए उपापनों के भुगतान निर्धारित समय सीमा में ही किए जाए। वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया है कि राज्य की कतिपय उपापन संस्थाओं द्वारा GeM के माध्यम से किए गए उपापनों का समयबद्ध भुगतान नहीं किया जा रहा है अतः समस्त संबंधित उपापन संस्थाओं को पुनः परामर्शित किया जाता है कि उनके द्वारा Gem portal, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार से सम्पादित किए गए उपापन प्रकरणों का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराएँ ।

Sd
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व/बजट/व्यय) विभाग
3. समस्त प्रशासनिक विभाग, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Gem, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
6. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारीगण
7. समस्त उपापन संस्थाएं, राजस्थान
8. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जीएण्डटी) विभाग